



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 215

29 चैत्र, 1932 शकाब्द
राँची, सोमवार 19 अप्रैल, 2010

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

16 अप्रैल, 2010

संख्या--एल०बी०-19/2006-20/लेन०--झारखण्ड विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक 13 अप्रैल, 2010 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं शोध विश्वविद्यालय, राँची विधेयक 2010

[झारखण्ड अधिनियम 04, 2010]

राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं शोध विश्वविद्यालय, राँची की स्थापना एवं संस्थापन करने हेतु अधिनियम ।

प्रस्तावना :-

विधि के क्षेत्र में शिक्षण एवं शोध तथा ज्ञान की वृद्धि एवं प्रसार, राजकीय तथा गैर राजकीय संस्थानों की उचित विधि क्षमता के निर्माण, विधि सेवाएँ प्रदान करने की पद्धति को सशक्त करना जो क्षेत्रानुकूल तकनीकी विकास हेतु विविध क्षेत्र के ज्ञान (यथा खनन एवं खनिज, पर्यावरण, सूचना तकनीकी,

जैव प्रौद्योगिकी आदि) में विशेषज्ञता तथा शासन में लोक नीति के विकास हेतु विधि के प्रयोग में भागीदारी एवं जैसे व्यक्तियों, जो वकालत, न्यायिक सेवा, विधि अधिकारियों, प्रबंधकों तथा विधायी प्रारूपण एवं संबंधित अनुसंगी विषयों को अपना पेशा बनाने के इच्छुक हों, के पेशेवर निपुणता की वृद्धि कर समाज की आवश्यकताओं को पूर्ति करने हेतु राँची में एक राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं शोध विश्वविद्यालय, राँची की स्थापना एवं संस्थापन हेतु एक विधेयक अधिनियमित करना आवश्यक हो गया है।

भारत गणराज्य में 61 वे (एकसठवें) वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा इस प्रकार अधिनियमित हो:-

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ :

- (i) यह विधेयक राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं शोध विश्वविद्यालय, राँची अधिनियम-2010 कहा जाएगा ।
- (ii) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषाएँ : जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

- (i) 'विद्वत् परिषद्': विद्वत् परिषद् से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का विद्वत् परिषद्।
- (ii) 'शैक्षिक योजना एवं विकास समिति': शैक्षिक योजना एवं विकास समिति से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की शैक्षिक योजना एवं विकास समिति ।
- (iii) 'भारतीय अधिवक्ता परिषद्': से अभिप्रेत है अधिवक्ता अधिनियम, 1951 की (सन् 1961 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-2S) के अन्तर्गत गठित भारत का अधिवक्ता परिषद् ।
- (iv) 'कुलाधिपति': से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलाधिपति ।
- (v) 'कार्यकारिणी परिषद्': से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् ।
- (vi) 'सामान्य परिषद्' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की सामान्य परिषद् ।
- (vii) 'कुल सचिव' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुल सचिव ।
- (viii) 'विनियम' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अन्तर्गत एवं इसके अनुसंग विश्वविद्यालय के प्राधिकारों द्वारा निर्मित विनियम ।
- (ix) 'अनुसूची' से अभिप्रेत है इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची ।
- (x) 'विश्वविद्यालय' से अभिप्रेत है राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं शोध विश्वविद्यालय, राँची।
- (xi) 'मुख्य न्यायाधीश': से अभिप्रेत है झारखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जिसमें झारखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में दायित्व का निर्वहन कर रहे न्यायाधीश भी सम्मिलित होंगे ।
- (xii) 'राज्यपाल' से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य के राज्यपाल अथवा कार्यकारी राज्यपाल, जो झारखण्ड राज्य में राज्यपाल का दायित्व निर्वहन कर रहे हों ।

- (xiii) 'कुलपति' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलपति ।
- (xiv) 'रेक्टर' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का रेक्टर ।
- (xv) 'विजिटर' : से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का विजिटर ।

अध्याय - 2

विश्वविद्यालय की स्थापना, इसका उद्देश्य एवं कार्य।

3. राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं शोध विश्वविद्यालय, राँची की स्थापना एवं संस्थापन:
 - (i) अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार जिस तिथि से नियत कर, झारखण्ड राज्य में, राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं शोध विश्वविद्यालय, राँची के नाम से स्थापित होगा; जिसमें रेक्टर, विजिटर, कुलाधिपति, कुलपति, सामान्य परिषद, कार्यकारिणी परिषद, विद्वत् परिषद, वित्त समिति एवं कुल सचिव होंगे ।
 - (ii) विश्वविद्यालय उक्त नाम से निर्गमित निकाय होगा, जिसका शासक उतराधिकार होगा एवं उसकी सामान्य शक्ति सम्पन्न मुहर होगी । इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत इसी नाम से वह वाद चला सकेगा और उस पर वाद चलाया जा सकेगा एवं संविदा कर सकेगा ।
 - (iii) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध सभी वादों एवं कानूनी कार्यवाहियों का अभिवचन (Pleadings) कुल सचिव द्वारा हस्ताक्षरित एवं मत्यापित किया जाएगा एवं इन वादों एवं कार्यवाहियों के सभी परिपत्रों को कुलसचिव को निर्गत एवं नामित किया जाएगा ।
 - (iv) विश्वविद्यालय का मुख्यालय राँची होगा । समय-समय पर सामान्य परिषद द्वारा अन्यत्र भी महसूस किये जाने पर झारखण्ड में अन्यत्र भी विश्वविद्यालय अपना परिसर स्थापित कर सकेगा ।

4. विश्वविद्यालय के प्रयोजन : इस विश्वविद्यालय के निम्नवत उद्देश्य होंगे:-
 - (i) राष्ट्रीय प्रगति में विधि की समुचित भूमिका निरूपित करने के लिए अधिगम एवं ज्ञान को विकसित व प्रचारित करना और शोध कर प्रयोजन व संचालन करना ।
 - (ii) विद्यार्थियों एवं शोध छात्रों को विधि के क्षेत्र में समाज की सेवा हेतु दायित्व बोध में वृद्धि करने के लिए अधिवक्तृत्व, न्यायिक एवं अन्य विधि सेवाएँ, विधायिकी, विधि सुधार आदि क्षेत्रों में निपुणता को विकसित करना ।
 - (iii) व्यावसायिक शिक्षा को विकसित करना और न्यायिक पदाधिकारियों एवं अन्य व्यक्ति जिनकी रुचि विधि क्षेत्र में हो - को पर्याप्त उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराना ।
 - (iv) विधि शिक्षकों, न्यायिक पदाधिकारियों, अधिवक्ताओं एवं अन्य व्यक्ति जो इस क्षेत्र में कार्यरत हैं या विधि क्षेत्र में रुचि हो, को प्रशिक्षण देना तथा पुनश्चर्चा आयोजित कराना ।
 - (v) विधि से सम्बन्धित विषयों पर व्याख्यान गोष्ठी, सम्मेलन तथा सम्मेलनों का आयोजन करना ।

- (vi) विधिक ज्ञान को बढ़ाना तथा कानून एवं कानूनी प्रक्रिया को सामाजिक विकास के लिए रक्षक बनाना।
- (vii) परीक्षाएँ आयोजित करना तथा उपाधियाँ, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र एवं अन्य विद्योचित वरेण्यताएँ प्रदान करना एवं अन्य किस्मों या सभी प्रयोजनों की पूर्ति के लिए ऐसे सभी कार्य करना जो विश्वविद्यालय की उद्देश्य पूर्ति हेतु प्रासंगिक तथा आवश्यक हों।

विश्वविद्यालय सभी लिंग, जाति, प्रजाति, वर्ण, वर्ग, या धर्म के पुरुष/महिला के लिए उपलब्ध रहेगा।

5. विश्वविद्यालय की शक्तियाँ एवं कार्य : विश्वविद्यालय की शक्तियाँ एवं कार्य निम्नवत् होंगे:-

- (i) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक, शोध, शिक्षा तथा निर्वहन के केंद्रों का प्रशासन एवं प्रबंधन करना।
- (ii) विधि विषयक ज्ञान या ज्ञानोपार्जन को उन शाखाओं में अनुदेश प्रदान करना जिसे विश्वविद्यालय उपयुक्त समझे एवं शोध एवं विधि विषयक ज्ञान के वृद्धि एवं प्रसार हेतु व्यवस्था करना।
- (iii) बहिर्विश्वविद्यालयीय (Extra mural) शिक्षण तथा प्रसार सेवा (Extension Service) का आयोजन करना एवं प्रदान करना।
- (iv) परीक्षाओं का आयोजन एवं डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्रों की स्वीकृति प्रदान करना एवं उपाधि तथा विश्वविद्यालय बन्धुत्वों के अधीन, जो वह निर्धारित करे, व्यक्तियों को अन्य विद्योचित वरेण्यताएँ प्रदान करना तथा पर्याप्त कारणों से किसी डिप्लोमा, प्रमाणपत्रों, उपाधियों या विद्योचित वरेण्यताओं को हमेशा के लिए वापस करना।
- (v) विनियम में यथाविहित विधि से मानद उपाधियों या अन्य विद्योचित वरेण्यताएँ प्रदान करना।
- (vi) शुल्क एवं अन्य प्राप्तियों को निश्चित करना, माँगना और प्राप्त करना।
- (vii) डील तथा छात्रावासों की स्थापना तथा अनुरक्षण करना तथा विद्यार्थियों के आवासों को मान्यता प्रदान करना एवं किसी अन्य आवासीय स्थान की मान्यता को वापस लेना।
- (viii) ऐसे विशेष केंद्र, विशिष्ट अध्ययन केंद्र या शोध एवं अनुदेश के लिए अन्य इकाईयाँ स्थापित करना, जो विश्वविद्यालय के विचार में उसके प्रयोजनों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक हों।
- (ix) आवासों का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण करना तथा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में अनुशासन को निर्धारित करना और उनके स्वास्थ्य वर्द्धन की व्यवस्था करना।
- (x) महिला विद्यार्थियों के आवास, अनुशासन एवं शिक्षण के लिए विशेष व्यवस्था करना।
- (xi) विश्वविद्यालय के अकादमिक, तकनीकी, प्रशासनिक, अनुसंधान पदों एवं अन्य पदों का सृजन करना एवं इन पदों पर नियुक्ति करना।
- (xii) विश्वविद्यालय कर्मियों पर अनुशासन लागू करना एवं नियंत्रित करना एवं ऐसी अनुशासनिक कार्रवाई करना, जो आवश्यक हो।
- (xiii) राज्य सरकार के पुर्वानुमोदनापरान्त, प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, अंशकालिक व्यस्तता के पदों तथा कोई अन्य शिक्षण, अकादमिक या शोध पदों का सृजन करना जो विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक हों।

- (xiv) विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों, सह-प्राध्यापकों, सहायक प्राध्यापकों, अंशकालिक व्याख्याताओं या अन्य शिक्षकों एवं शोधार्थियों की नियुक्ति करना ।
- (xv) अधिछात्रवृत्तियाँ (फेलोशिप), अधिवृत्तियाँ, पारितोषिक तथा पदकों का कायम करना एवं प्रदान करना ।
- (xvi) शोध एवं अन्य कार्यों के लेखों के मुद्रण (reproduction) तथा प्रकाशन की व्यवस्था करना एवं प्रदर्शनियाँ आयोजित करना ।
- (xvii) विधि, न्याय एवं सामाजिक विकास के हर पहलू पर शोध करना तथा प्रयोजित करना ।
- (xviii) शिक्षा, प्रशिक्षण एवं विधि, न्याय, सामाजिक विकास तथा अन्य अनुबंधिक विषयों के मामलों में ऐसे दृष्टियों के लिए उन शर्तों एवं बंधनों के साथ, जो विश्वविद्यालय समय-समय पर निर्धारित करे, जिस पर सहमति हो गई हो अन्य संस्थानों से सहयोग करना ।
- (xix) विश्व के उच्चतर ज्ञान के ऐसे संस्थानों से सहयोग करना जिनके प्रयोजन पूर्णतः या आंशिक रूप से विश्वविद्यालय के समान हों, उनसे शिक्षकों का अन्तरण (exchange) सामान्यतया इस प्रकार से कर सकेगा जो समान प्रयोजन के लिए सहायक हो ।
- (xx) व्यय को नियंत्रित करना और विश्वविद्यालय के लेखा का प्रबंधन करना ।
- (xxi) न्यायिक अधिकारियों एवं अन्य जो न्यायिक प्रशासन में जुड़े हों के पेशेवर शिक्षा का उन्नयन करना एवं आवश्यक पुनश्चर्या (Orientation) तथा प्रशिक्षण प्रदान करना ।
- (xxii) विधि शिक्षक, न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं एवं विधि क्षेत्रों के अन्य व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करना एवं पुनश्चर्या आयोजित करना ।
- (xxiii) ग्रामीण एवं शहरी नागरिकों के बीच वैधिक साक्षरता तथा वैधिक जागरूकता, उन्नयन एवं प्रसार करना ।
- (xxiv) जरूरतमंद व्यक्तियों को मुकदमा पूर्व एवं मुकदमे के दौरान कानूनी सहायता प्रदान करना ।
- (xxv) पुरातन धर्मग्रन्थ एवं भारत की पुरातन न्यायिक व्यवस्था पर शोध करवाना एवं आधुनिक भारत में न्याय प्रशासन में उसकी उपयोगिता का पता लगाना ।
- (xxvi) ग्रंथों, जिनपर आधुनिक विधि तथा अहिंसा एवं शांति की अवधारणा आधारित हैं, के शिक्षण तथा शोध का विकास करना तथा आधुनिक भारत के न्यायिक प्रशासन में इनकी उपयोगिता का पता लगाना ।
- (xxvii) शोध पत्र, संधियाँ, पुस्तकें, पत्रिकाओं, एप्टों तथा कानून के अन्य क्षेत्रों से संबद्ध साहित्यों का प्रकाशन ।
- (xxviii) ऐसी कक्षाओं एवं अध्ययन हॉल, जो विश्वविद्यालय आवश्यक समझे, की स्थापना तथा अनुरक्षण, विश्वविद्यालय परिसर में या अन्यत्र करना एवं उसे यथायोग्य सुसज्जित करना । विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक तथा सुविधाजनक पुस्तकालयों एवं वाचनालयों की स्थापना एवं अनुरक्षण करना ।

- (xxix) जिस उद्देश्य से विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, उस प्रयोजन के अनुरूप विश्वविद्यालय के लिए अनुदान, परिधान, अंशदान, दान तथा संपत्ति ग्रहण करना ।
- (xxx) विश्वविद्यालय के लिए किसी भूमि, भवन या निर्माणों को जो आवश्यक या सुविधाजनक हो, का क्रय या पट्टे पर या उपहार के रूप में ऐसी शर्तों एवं बंधनों पर जो यह उचित एवं समीचीन समझे, ग्रहण करना एवं ऐसे भवनों या निर्माणों का कार्य तथा परिवर्तन एवं अनुरक्षण करना ।
- (xxxii) विश्वविद्यालय के हितों एवं कार्य कलापों के लिए पूर्वाग्रह के बिना, ऐसे शर्तों एवं बंधनों पर जो यह उचित समझे, चल या अचल संपत्ति का विक्रय, अन्तरण, पट्टे पर या अन्यथा आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय की संपत्ति को अन्तरित करना ।
- (xxxiii) अचल पत्रों, ड्रिण्डरों, चेकों या दूसरे विनियमों या दस्तावेजों की निकाली करना एवं स्वीकारना, बगाना एवं पुष्टांकन करना, मौल-बोल करना एवं छूट देना ।
- (xxxiiii) विश्वविद्यालय या उसके लिए अधिगृहित की जाने वाली राजकीय चल एवं अचल संपत्ति नाहित प्रतिभूतियों के संदर्भ में स्थानान्तरणों, हस्ता-न्तरणों, पुनर्हस्तांतरणों, बंधकों, पट्टों का एकरारनामा करना ।
- (xxxv) विश्वविद्यालय के किसी कार्य को संपादित करने या किसी दस्तावेज को निष्पादित करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्ति करना जिसे विश्वविद्यालय सक्षम समझे ।
- (xxxvi) अनुदान प्राप्त करने हेतु केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य व्यक्तियों एवं संसाधनों से एकरारनामा करना ।
- (xxxvii) अर्थ, प्रतिभूतियों या किसी प्रकार की संपत्ति को ऐसी शर्तों पर स्वीकार करना जो यह समीचीन समझे ।
- (xxxviii) अगुबंध पत्रों, बंधकों, अचल पत्रों पर या अन्य एकरारनामों या ऐसे प्रतिभूतियों पर आधारित या विश्वविद्यालय के सभी या किसी संपत्तियों एवं संसंपत्तियों पर आधारित या बिना जमानत के और ऐसी शर्तों एवं बंधनों के अधीन, जो विश्वविद्यालय उचित समझे, धन की उगाही करना तथा उधार लेना एवं विश्वविद्यालय की निधि से धन की उगाही के अनुभौतिक व्यय तथा उधार लिए गए धन की वापसी पर खर्च करना ।
- (xxxviiii) विश्वविद्यालय की निधि या ऐसे प्रतिभूतियों में या पर विश्वविद्यालय को सौंपे गए धन को इस प्रकार निवेश करना जो यह उचित समझे एवं समय-समय पर दूसरे स्थान पर निवेशित करना ।
- (xxxix) विश्वविद्यालय के मामलों को नियंत्रित एवं प्रबंधन के लिए समय-समय पर आवश्यक प्रतीत होने वाले विनियम बनाना एवं उन्हें परिवर्तित, संशोधित या विलोपित करना ।
- (xl) अकादमिक, तकनीकी, प्रशासनिक एवं अनुसंधानिक एवं अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए पेंशन, बीमा, भाविष्य निधि एवं उपादान का इस प्रकार विनियम में विहित शर्तों एवं बंधनों के अधीन व्यवस्था करना जो विश्वविद्यालय किसी कर्मचारी के लाभ के लिए उचित समझे एवं संघों, संस्थानों, निधियों, निकायों तथा विश्वविद्यालय के कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों के लाभार्थ गणना किए गए प्रतिभूतियों को स्थापित एवं सहायता करने में सहयोग देना ।

(xLi) विश्वविद्यालय के कुलपति या किसी समिति या इसमें प्राधिकार के किसी एक या अधिक सदस्यों या अधिकारियों को सभी या कोई शक्ति प्रदान करना ।

(xLii) ऐसे सभी कृत्य एवं कार्य करना जिसे विश्वविद्यालय उपर्युक्त वर्णित प्रयोजनों से या किसी एक प्रयोजन को प्राप्त या उन्नयन के लिए आवश्यक समझे ।

6. विश्वविद्यालय के शिक्षण :

(i) विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्रों से संदर्भित सभी मान्यता प्राप्त शिक्षण का संचालन कार्यकारिणी परिषद् के प्रशासनिक नियंत्रण में विश्वविद्यालय के शिक्षकों के द्वारा कार्यकारिणी समिति द्वारा विनियम से निर्धारित पाठ्यसूची के अनुरूप किया जायेगा ।

(ii) पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या तथा ऐसे शिक्षण को आयोजित करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी विनियम द्वारा विनिर्दिष्ट होंगे ।

अध्याय - 3

रेक्टर, विजिटर्स एवं कुलाधिपति की शक्ति एवं कार्य

7. विश्वविद्यालय के रेक्टर: झारखण्ड राज्य के राज्यपाल विश्वविद्यालय के रेक्टर होंगे ।

8. विश्वविद्यालय के विजिटर्स : भारत के मुख्य न्यायाधीश विश्वविद्यालय के विजिटर्स होंगे ।

9. विश्वविद्यालय के कुलाधिपति :

(i) झारखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे ।

(ii) कुलाधिपति एतद् सम्बंधी परिनियम में विहित विधान के अनुसार कुलपति की नियुक्ति करेंगे ।

कुलपति के आदेश के विरुद्ध अपील कुलाधिपति के समक्ष अपील किया जा सकेगा ।

10. रेक्टर की शक्ति:

(i) विश्वविद्यालय के मामलों से संबद्ध किसी भी विषय पर रेक्टर को प्रतिवेदन की मांग करने की शक्ति होगी ।

11. विजिटर्स की शक्ति :

(i) विजिटर्स जब उपस्थित रहेंगे तब विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह एवं सामान्य परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करेंगे तथा इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करेंगे । यदि विजिटर्स कानवोकेशन के अध्यक्षता करने में असमर्थ हों, तो वे रेक्टर से कानवोकेशन की अध्यक्षता करने हेतु अनुरोध कर सकते हैं।

(ii) विश्वविद्यालय के मामलों से सम्बद्ध किसी भी विषय पर विजिटर्स को प्रतिवेदन की मांग करने की शक्ति होगी ।

12. विश्वविद्यालय के कुलाधिपति की शक्ति :

(i) कुलाधिपति की शक्तियाँ यथा निर्धारित होंगी :

(क) विश्वविद्यालय के प्रशासनिक एवं अकादमिक हित में, जिसे वे आवश्यक समझें, के संदर्भ में निर्देश देना, कार्रवाई करना या कोई भी ऐसा कृत्य करना जो अधिनियम एवं परिचयन के प्रावधानों द्वारा अपेक्षित हो ।

(ख) वैसे व्यक्ति से विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, क्षेत्रीय केंद्रों के किसी कृत्य, कार्यक्रमों एवं परीक्षा का निरीक्षण करा सकना, जिसे निर्देशित करें ।

(ग) उपधारा 'ख' के तहत किए गए निरीक्षण या जाँच पर कुलपति को अपनी राय या परामर्श प्रस्तुत करने के लिए देना ।

(ii) जहाँ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति ने विश्वविद्यालय के निरीक्षण अथवा जाँच के लिए उपर्युक्त उपधारा (i) की धारा 'ख' के अधीन आदेश दिया हो वहाँ विश्वविद्यालय ऐसे निरीक्षण या जाँच में अपने अधिकारियों को प्रतिनियुक्त कर सकता है ।

(iii) कुलाधिपति इस निरीक्षण या जाँच का फलफल अपने परामर्श के साथ कुलपति को सूचित कराएँगे ।

(iv) उपर्युक्त कंडिका (iii) के निर्दिष्ट फल एवं परामर्श कुलपति कार्यकारिणी परिषद के सम्मेलन अपने लिपियों के साथ ऐसी कार्रवाई के लिए सूचित करेंगे जो कार्यकारिणी परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव एवं कृत कार्रवाई की सूचना कुलपति के माध्यम से कुलाधिपति को सूचित किया जाएगा ।

(v) यदि कार्यकारिणी परिषद, कुलाधिपति को संतुष्टि के लायक सुचित संगत समय के अंदर कार्रवाई न करे तो कुलाधिपति कार्यकारिणी परिषद के अभावबेदन या स्फूर्तिकरण पर विचारोपरान्त ऐसा निर्देश जारी कर सकते हैं जो वह उचित समझें एवं कार्यकारिणी परिषद ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा ।

अध्याय - 4

विश्वविद्यालय के प्राधिकार

13. विश्वविद्यालय के प्राधिकार :

विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकार होंगे :-

(i) सामान्य परिषद

(ii) कार्यकारिणी परिषद

(iii) विद्वत परिषद

(iv) वित्त समिति

(v) शैक्षिक योजना एवं विकास पर्यद, तथा

(vi) ऐसे अन्य प्राधिकार जो विनियम से प्राधिकार घोषित किए जायें

14. सामान्य परिषद :

- (i) सामान्य परिषद विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकार होगा,
- (ii) सामान्य परिषद के कार्य एवं शक्तियाँ वही होंगे जो परिनियम में विहित हों ।

15. कार्यकारिणी परिषद :

- (i) कार्यकारिणी परिषद विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी निकाय होगा तथा विश्वविद्यालय के परिसम्पत्ति एवं कोष को नियंत्रित एवं अधिशासित करेगा ।
- (ii) कार्यकारिणी की संरचना अनुसूची में यथा विहित होगी ।

16. विद्वत परिषद :

- (i) विद्वत परिषद विश्वविद्यालय का अकादमिक प्राधिकार होगा तथा अधिनियम एवं विनियम के प्रावधानों के अधीन इसमें नियंत्रण एवं विनियम तथा विश्वविद्यालय की परीक्षा, शिक्षा एवं शिक्षण के स्तर से संबंधित एवं अन्य ऐसी शक्तियों के उपयोग तथा ऐसे कार्यों के निष्पादन की शक्तियाँ होंगी जो अधिनियम एवं विनियम से संचारित की जायें । इन सभी अकादमिक मामलों में कार्यकारिणी परिषद को परामर्श देने का अधिकार होगा ।
- (ii) विद्वत परिषद को अनुसूची (परिनियम) की धारा 15 में उल्लिखित कंडिकाओं में प्रदत्त शक्तियाँ एवं संबंधित मामलों में परिनियम प्रस्तावित करने का अधिकार होगा ।

17. शैक्षिक योजना एवं विकास समिति :

(i) शैक्षिक योजना एवं विकास समिति में निम्नलिखित रहेंगे :-

- (क) जजिटर द्वारा नामित भारत के उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवा निवृत्त न्यायाधीश ।
- (ख) कुलपति, जो अध्यक्ष होंगे।
- (ग) दो निदेशक/कुलपति द्वारा कुलाधिपति के परामर्श से झारखण्ड स्थित विश्वविद्यालयों के कुलपति ।
- (घ) कुलाधिपति द्वारा मनोनीत विधि, सामाजिक विज्ञान, भौतिक एवं प्राकृतिक विज्ञान, औषधि, अभियंत्रण एवं प्रबंधन विषय में लब्धप्रतिष्ठ छः शिक्षाविद् ।
- (च) राज्य के महाधिवक्ता ।
- (छ) उच्च शिक्षा विभाग के सचिव
- (ज) झारखण्ड राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष
- (झ) चूम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इन्डस्ट्री के एक सदस्य

- (ii) शैक्षिक योजना एवं विकास पर्यटन वर्ष में न्यूनतम एक बार बैठक करेगी तथा विश्वविद्यालय के लिए भविष्य की योजना निर्धारित करेगी एवं तत्सम्बन्धी अनुसूचा विद्युत परिषद और कार्यकारणी परिषद को तथा आवश्यक विभिन्न कार्यों से सम्बन्धित दीर्घकालीन कार्य योजना की भी अनुसूचा करेगी ।

अध्याय - 5

विश्वविद्यालय के अधिकारी

18. विश्वविद्यालय के अधिकारी : विश्वविद्यालय के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे:-

- क. कुलापति
- ख. कुलसचिव
- ग. विभागों/केन्द्रों के अध्यक्ष
- घ. वित्त पदाधिकारी
- च. परीक्षा नियंत्रक और
- छ. ऐसे सभी पदाधिकारी जो विनियम में उल्लिखित हों

अध्याय - 6

परिनियम, अध्यादेश एवं विनियम

19. परिनियम

- (i) अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप तथा उसके अधीन विश्वविद्यालय के परिनियम में ऐसे अनुदेश, निदेश प्रक्रिया तथा विस्तृत विवरण होंगे जो आवश्यक हों।
- (ii) इस अधिनियम की अनुसूची में समावेशित परिनियम, जो समय-समय पर संशोधित हो, विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारों, अधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों एवं विश्वविद्यालय से जुड़े व्यक्तियों के लिए बंध्यकारी होंगे ।
- (iii) सामान्य परिषद स्वयं या कार्यकारणी परिषद की अनुसूचा पर अधिनियम की अनुसूची में संलग्न परिनियम में किसी प्रकार के संशोधन करने की शक्ति होगी । परन्तु, प्रस्तावित परिवर्तन के लिए विश्वविद्यालय में ऐसे प्राधिकारों को पर्याप्त अवसर दिए बिना उसकी संरचना स्तर या शक्तियों को प्रभावित करने वाला संशोधन कार्यकारणी परिषद परिनियम में नहीं करेगा ।
- (iv) परिनियम में कोई संशोधन, चाहे जोड़ कर, क्लिपित कर या किसी और प्रकार का हो, प्रभावी नहीं होगा जब तक राज्य सरकार से किमर्शापरंत कुलाधिपति सहमति नहीं दे ।

कुलाधिपति उक्त परामर्श के बाद यदि संतुष्ट हो कि सहमति नहीं देनी है तो वे अपनी सहमति रोक सकते हैं या संशोधन के प्रस्ताव को अपने मतव्य के साथ यदि कोई हो, कार्यकारिणी के पुनर्विचार हेतु वापस कर सकते हैं।

- (v) उपयुक्त कंडिका (iii) या (iv) में अन्यथा उपबंधित के अलावे, कुलाधिपति को राज्य सरकार से परामर्शोपरंत, अनुसूची में समावेशित परिनियम में कुछ जोड़ कर, बिलोपित कर या किसी प्रकार से संशोधित करने की शक्ति होगी।
- (vi) राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से परिनियम में संशोधन प्रभावी होगा।

20. विश्वविद्यालय के अध्यादेश :

- (i) अधिनियम तथा अनुसूची में समावेशित समय-समय पर संशोधित परिनियम के प्रावधानों के अधीन विश्वविद्यालय का अध्यादेश किसी न सभी मामलों के लिए कार्यकारिणी परिषद द्वारा प्रख्यापित किया जा सकता है, यथा :
- क) पाठ्यक्रम, विद्यार्थियों का नामांकन शुल्क, कोई उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र तथा फेलोशिप प्रदान करने हेतु अहर्ता निर्धारण संबंधित।
- ख) परीक्षाओं के संचालन के साथ-साथ परीक्षकों की नियुक्ति तथा उनके नियुक्ति को शर्तों एवं बंधनों का निर्धारण।
- ग) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त महाविद्यालयों, संस्थानों, रोथ इकाईयों एवं अन्य आधिकारण (agencies) का प्रबंधन तथा
- घ) कोई अन्य विषय जो परिनियम द्वारा अपेक्षित हो पर विश्वविद्यालय के अध्यादेशों द्वारा विचारित करना।
- (ii) राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति की पूर्वानुमति से कुलपति, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के बाद जितना शीघ्र हो सके, पहला अध्यादेश प्रख्यापित करेंगे तथा उसे अधिनियम में विहित प्रक्रिया या परिनियम में उल्लिखित तरीके से किसी समय संशोधित किया जा सकेगा।
- (iii) उपयुक्त कंडिका (ii) के प्रावधानों के अलावा कार्यकारिणी परिषद विश्वविद्यालय में नामांकन या परीक्षा, पाठ्यक्रम, परीक्षा की स्कीम, उपस्थिति, परीक्षकों की नियुक्ति से संबंधित अध्यादेश पर तब तक विचार नहीं करेगा जब तक एतद् संबंधी प्रारूप विद्वत परिषद द्वारा प्रस्तावित नहीं हो।
- (iv) कार्यकारिणी परिषद विद्वत परिषद द्वारा प्रस्तावित अध्यादेश के प्रारूप का तब तक संशोधन नहीं करेगा जब तक विद्वत परिषद संदर्भित संशोधन में सहमति प्रदान नहीं कर दे, किन्तु कार्यकारिणी समिति को प्रारूप को अस्वीकृत करने या पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कार्यकारिणी द्वारा सुझाये संशोधनों के साथ विद्वत परिषद को पुनर्विचार के लिए वापस करने की शक्ति होगी।

- (V) क) कार्यकारिणी परिषद द्वारा देखाया गया अध्यादेश का प्रारूप सामान्य परिषद को समर्पित किया जाएगा एवं उस पर सामान्य परिषद द्वारा अगली बैठक में विचार किया जाएगा एवं उस तिथि से प्रवृत्त होगा जिस तिथि को सामान्य परिषद उसे संकल्प के माध्यम से स्वीकार करे।
- (ख) कार्यकारिणी परिषद द्वारा बनाए गए किसी अध्यादेश को सामान्य परिषद की सभा में उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो तिहाई मतों से अत्यंत बहुमत द्वारा पारित संकल्प के द्वारा रद्द करने की शक्ति होगी तथा ऐसा अध्यादेश, संकल्प की तिथि से निष्प्रभावी समझा जाएगा।

21. विनियम :

अधिनियम के अर्थात्, कार्यकारिणी समिति को अन्य निर्दिष्ट शक्तियों के अलावा, विश्वविद्यालय के प्रशासन एवं प्रबंधन प्रदान करने हेतु विनियम निर्माण करने की शक्ति होगी।

परन्तु, यह कि कार्यकारिणी परिषद ऐसे किसी विनियम का निर्माण नहीं करेगी जिससे किसी प्राधिकार के स्तर, शक्ति एवं संरचना पर प्रभाव पड़े जब तक, ऐसे प्राधिकार को प्रस्तावित परिवर्तन पर लिखित अभिमत प्रकट करने का अवसर प्रदान नहीं किया जाए तथा ऐसे प्रकट किए गए अभिमत को कार्यकारिणी परिषद विचार न ले।

परन्तु, और यह कि विद्वत परिषद की पूर्व सहमति के बिना कार्यकारिणी परिषद निम्न एक या सभी विषय वस्तुओं को प्रभावित करने वाले विनियम में कोई संशोधन या निरस्तीकरण नहीं करेगा :-

- (क) विद्वत परिषद की संरचना, शक्तियों तथा कर्तव्य।
- (ख) पाठ्यक्रम तथा संबंधित अकादमिक कार्यक्रम से संबंधित पढ़ाई के आयोजन से संबंधित व्यक्ति के संबंध में।
- (ग) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र तथा अन्य अकादमिक विशिष्टता को वापसी के संबंध में।
- (घ) संकायों, विभागों, हॉल तथा संस्थानों की स्थापना तथा बंद करने से संबंधित।
- (ङ) फेलोशिप, स्कॉलरशिप, छावृत्ति, पदकों तथा पुरस्कारों का प्रायोजन विषयक।
- (च) परीक्षाओं की नियुक्ति को शर्त एवं पद्धति या परीक्षाओं के संचालन या स्तर या किसी अन्य पाठ्यक्रम के स्तर निर्धारण से संबंधित।
- (छ) विद्यार्थियों के पंजीयन या नामांकन की पद्धति तथा निर्धारण विषयक।
- (ज) विश्वविद्यालय परीक्षाएं जिनकी मान्यता विश्वविद्यालय परीक्षाओं के समतुल्यता प्रदान करनी हो।

22. प्राधिकारों को विनियम बनाने की शक्ति परिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार मामले के संचालन के लिए होंगे। जैसे विनियम इस अधिनियम के प्रावधानों, परिनियमों तथा विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के असंगत नहीं होंगे।

अध्याय -7 समीक्षा आयोग

23. विश्वविद्यालय समीक्षा आयोग की नियुक्ति :

- (i) कुलाधिपति कम से कम पाँच वर्षों में एक बार या जब आवश्यक हो विश्वविद्यालय के कार्यकलापों की समीक्षा तथा अनुशंसा प्रदान करने हेतु, एक समीक्षा कमीशन का गठन करेंगे।
- (ii) कमीशन तीन विख्यात शिक्षा विदों से अन्वून सदस्यीय होगा, जिनमें से एक राज्य सरकार के परामर्श पर कुलाधिपति द्वारा नियुक्त अध्यक्ष होगा।
- (iii) सदस्यों को नियुक्ति की शर्तें एवं बंधेज वही होंगे जो कुलाधिपति तय करें।
- (iv) कमीशन, जैसा वह उचित समझे, ऐसी जाँच के उपरांत कुलाधिपति को अपनी अनुशंसा देगा।
- (v) कुलाधिपति राज्य सरकार से परामर्शोपरांत, विश्वविद्यालय के कार्यकलाप तथा विकास पर समीक्षा कमीशन की संतुष्टि पर ऐसी कार्यवाही करेगा, जो वे उचित समझे।

24. कार्यवाही का रिक्तियों या गठन में त्रुटि के कारण अमान्य न होना :

- (i) सौमन्य परिषद, कार्यकारिणी परिषद, अकादमिक परिषद या विश्वविद्यालय का कोई अन्य प्राधिकार या निकाय विधिवत गठित नहीं हो या इसमें गठन या किसी समय पुनर्गठन में कोई त्रुटि हो, और
- (ii) ऐसे प्राधिकार या निकाय में सदस्यता की रिक्ति हो ; ऐसे प्राधिकारों की कार्यवाही या गठित नियम, ऐसे किसी कारण या कारणों से, अमान्य नहीं होंगे।

25. प्रारंभ करने में कठिनाइयों को दूर करना :

यदि विश्वविद्यालय की स्थापना, विश्वविद्यालय में किसी प्राधिकार की पहली बैठक या इस अधिनियम या विनियम को प्रवृत्त करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो कुलाधिपति, किसी भी समय विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारों के स्थापना के पूर्व, जहाँ तक संभव हो, इस अधिनियम और विनियम के अनुकूल आदेश द्वारा कोई नियुक्ति या कोई कार्यवाही कर सकता है, जो उसे कठिनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से आवश्यक या समीचीन लगे और ऐसे सभी आदेश का प्रभाव वैसा ही होगा मानो वैसी नियुक्ति या कार्यवाही इस अधिनियम एवं विनियम के अंतर्गत किये गये प्रावधानों के तहत की गई हो।

परन्तु यह और कि ऐसा कोई आदेश करने के पूर्व कुलाधिपति, कुलपति और विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकार जो स्थापित किये गये हो, का मत प्राप्त कर उस पर विचार करेंगे।

अनुसूची
(धारा-19 देखें)

परिनियम

एशियाक तस्तिर

सामान्य परिषद् :

1. सामान्य परिषद् की सदस्यता : विश्वविद्यालय का एक सामान्य परिषद् होगा जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे

- (i) कुलाधिपति,
- (ii) भारत के महान्यायवादी अथवा भारत के प्रतिवक्ता महान्यायविद्,
- (iii) विधि सचिव, झारखण्ड सरकार,
- (iv) उच्च शिक्षा सचिव, झारखण्ड सरकार,
- (v) वित्त सचिव, झारखण्ड सरकार,
- (vi) अध्यक्ष, झारखण्ड मानवाधिकार आयोग,
- (vii) अध्यक्ष, झारखण्ड बार काउंसिल,
- (viii) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या उनके द्वारा नामित व्यक्ति,
- (ix) कुलाधिपति द्वारा नामित विधि या विधि शिक्षा में ख्याति प्राप्त दो व्यक्ति,
- (x) कुलपति,
- (xi) विजिटर द्वारा नामित एक लब्धप्रतिष्ठ शिक्षाविद्,
- (xii) रेक्टर द्वारा नामित एक लब्धप्रतिष्ठ शिक्षाविद्,
- (xiii) चक्रानुक्रम से राज्य के विश्वविद्यालयों के एक कुलपति तीन वर्ष के लिए (चक्रानुक्रम का आधार विश्वविद्यालय की स्थापना तिथि होगी),
- (xiv) महाधिवक्ता झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची,
- (xv) कुल सचिव,
- (xvi) विश्वविद्यालय के दो वरीयतम प्राचार्य ।
- (xvii) विधान सभा अध्यक्ष द्वारा नामित एक राज्य विधान सभा का एक सदस्य ।

2. दाता सदस्य : कोई व्यक्ति जो किसी एक समय विश्वविद्यालय को एक करोड़ से अधिक की राशि की दान दे वह सामान्य परिषद् का आवीवन दाता सदस्य होगा तथा कुलाधिपति के अनुमोदन से बैठकों में भाग लेने के लिए उसे एक प्रतिनिधि को नामित करने का अधिकार प्राप्त होगा ।

3. सामान्य परिषद् का अध्यक्ष तथा सचिव :

- (i) कुलाधिपति सामान्य परिषद् के अध्यक्ष होंगे
- (ii) कुलसचिव सामान्य परिषद् के सचिव होंगे

4. सामान्य परिषद् के सदस्यों का कार्यकाल :

- (i) दाता सदस्यों, यदि हों, को छोड़कर निर्मांकित उपकांडिकाओं (ii) तथा (iii) के अधीन रहते हुए, सभी सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा। परन्तु यह कि प्रथम सामान्य परिषद् का कार्यकाल इस अनुसूची में विहित प्रावधानों के तहत नियमित सामान्य परिषद् गठित होने पर समाप्त हो जाएगा।
- (ii) यदि कोई सदस्य सामान्य परिषद् का सदस्य अपने पद या नियुक्ति के कारण बना हो या नामित हो तो उसकी सदस्यता, पदत्याग, नियुक्ति की समाप्ति या जैसा मामला हो, उसके मनोनयन वापसी या निरस्त होने पर समाप्त हो जायेगी।
- (iii) किसी सदस्य को सामान्य परिषद् की सदस्यता समाप्त हो जायेगी :-
 - (क) यदि वह इस्तीफा दे, या विकृत मानस का हो जाय, या दिवालिया हो जाये, या अपराधिक मामले में दंडित हो,
 - (ख) कुलपति के अलावे कोई ऐसा सदस्य जो विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक कर्मचारी बन जाये,
 - (ग) अध्यक्ष की अनुमति के बिना नामित सदस्य यदि सामान्य परिषद् की तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित हो,
- (iv) पदेन सदस्यों के अलावा सामान्य परिषद् का कोई अन्य सदस्य अपने पद से त्याग पत्र अध्यक्ष को संबोधित पत्र के द्वारा कर सकेगा एवं ऐसा त्यागपत्र, अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र मंजूर करते ही प्रभावी हो जायेगा।
- (v) सामान्य परिषद् की कोई रिक्त, व्यक्ति की नियुक्ति अथवा मनोनयन द्वारा, जैसा भी मामला हो, संबंधित कार्य के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा भरा जायेगा एवं इस प्रकार नियुक्त अथवा नामित व्यक्ति तब तक पद धारण करेगा जब तक जिसके स्थान पर उसको नियुक्ति या मनोनयन हुई हो, रिक्त नहीं होने पर पद धारण करता।

5. सामान्य परिषद् की शक्तियाँ :

- (i) सामान्य परिषद् को विश्वविद्यालय के प्रशासन एवं प्रबंधन के लिए आवश्यक, सभी शक्तियाँ एवं प्राधिकारों की कार्रवाईयों की समीक्षा समेत विश्वविद्यालय के मामलों के संचालन की शक्ति तथा कार्यकारिणी परिषद् द्वारा निर्मित विनियम की समीक्षा करने की शक्ति होगी एवं अधिनियम में अन्यथा प्रवधानित को छोड़कर विश्वविद्यालय की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा।
- (ii) उपकांडिका (i) में अवधारित सामान्य शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सामान्य परिषद् -
 - (क) विश्वविद्यालय की सामान्य नीति एवं योजनाओं की अनुशंसा करेगा एवं विश्वविद्यालय के विकास एवं उन्नयन के लिए सुझाव देगा।

- (ख) वार्षिक प्रतिवेदन, वित्तीय आकलन तथा ऐसे लेखों के अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर विचार कर संकल्प पारित करेगा ।
- (ग) विश्वविद्यालय के प्रशासन तथा कार्य कलाप के उत्थान के लिए, जो वह उचित समझे, ऐसे कार्य संपादित करेगा जो अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल नहीं हों ।

6. सामान्य परिषद् की सभाएं :

- (i) सामान्य परिषद् की सभा वर्ष में कम-से-कम एक बार होगी । जब तक सामान्य परिषद् किसी वर्ष के लिए कोई अन्य तिथि निश्चित नहीं करे तब तक कार्यकारिणी परिषद् द्वारा निर्धारित तिथि को सामान्य परिषद् की वार्षिक बैठक होगी ।
- (ii) विजिटर अगर उपस्थित हों तो सामान्य परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे, परन्तु, उनकी अनुपस्थिति में कुलाधिपति बैठक की अध्यक्षता करेंगे, बदायत कुलाधिपति को अनुपस्थिति में कुलाधिपति के प्रतिनिधि जो सामान्य परिषद् के सदस्यों में से एक हों सामान्य परिषद् की अध्यक्षता करेंगे ।
- (iii) सामान्य परिषद् की बैठक में कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के पूर्व वर्ष के कार्यकलापों के साथ आय-व्यय विवरणी तथा अंकेक्षित प्रतिवेदन तथा वित्तीय आकलन पर स्पष्ट प्रस्तुत की जायेगी ।
- (iv) सामान्य परिषद् की बैठक या तो कुलपति स्वयं या अपने सदस्यों सहित सामान्य परिषद् के दो तिहाई सदस्यों के आग्रह पर बुला सकेगा ।
- (v) सामान्य परिषद् की हर बैठक के लिए कम-से-कम 15 दिनों की पूर्व सूचना दी जायेगी ।
- (vi) गणपूर्ति के लिए सामान्य परिषद् के एक तिहाई सदस्यों की संख्या आवश्यक होगी ।
- (vii) प्रत्येक सदस्य का एक मत (Vote) होगा और सामान्य परिषद् द्वारा निर्णय लिए जाने के प्रश्न पर यदि बराबर मत आ जाए तो अध्यक्ष या अध्यक्षता करता हुआ व्यक्ति एक निर्णायक मत प्रदान करेगा ।
- (viii) यदि सदस्यों में मतभेद नहीं हो तो बहुमत की राय मान्य होगी ।
- (ix) यदि सामान्य परिषद् द्वारा तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो तो अध्यक्ष सामान्य परिषद् के सदस्यों के बीच कागजात के परिचालन द्वारा बैठक की कार्रवाई पूरा करने की अनुमति दे सकेगा । फिर भी प्रस्तावित कार्रवाई तब तक नहीं की जायेगी जब तक बहुमत से सामान्य परिषद् के सदस्य सहमत न हो जायें । इस प्रकार के कृत कार्रवाई से तुरन्त सामान्य परिषद् के सदस्यों को अवगत कराया जायेगा एवं संपुष्टि के लिए कागजात सामान्य परिषद् की अगली बैठक में रखा जायेगा ।

कार्यकारिणी परिषद्

7. कार्यकारिणी परिषद् की सदस्यता :

1. कार्यकारिणी परिषद् निम्नांकित से गठित होगा, यथा :
 - (i) कुलपति,
 - (ii) सामान्य परिषद् का तीन सदस्य (सामान्य परिषद् द्वारा नामित),
 - (iii) विधान सभा अध्यक्ष द्वारा नामित एक राज्य विधान सभा के सदस्य
 - (iv) रेक्टर द्वारा नामित एक सदस्य
 - (v) कुलाधिपति द्वारा नामित झारखण्ड उच्च न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश,
 - (vi) बिजिटर द्वारा नामित एक सदस्य,
 - (vii) महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची,
 - (viii) विधि सचिव, झारखण्ड सरकार या उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति, किन्तु अपर विधि पठमर्शा से अन्यून स्तर का नहीं,
 - (ix) सचिव, उच्च शिक्षा, झारखण्ड सरकार,
 - (x) वित्त सचिव, झारखण्ड या उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति जो वित्त विभाग के विरोध सचिव से अन्यून न हों,
 - (xi) सचिव, समाज कल्याण विभाग, झारखण्ड,
 - (xii) अध्यक्ष, राज्य बार काउंसिल, झारखण्ड,
 - (xiii) कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम से मनोनीत दो बरीपतम संकाय सदस्य।

2. कुलपति अध्यक्ष तथा कुलसचिव कार्यकारिणी परिषद् के सचिव होंगे ।

8. कार्यकारिणी परिषद् का कार्यकाल :

- (i) यदि कोई व्यक्ति अपने पद या नियुक्ति के आधार पर कार्यकारिणी परिषद् का सदस्य बना हो तो उसकी सदस्यता पद त्यागने या नियुक्ति समाप्त होने पर समाप्त हो जायेगी ।
- (ii) कार्यकारिणी परिषद् के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जायेगी, यदि वह त्याग पत्र दे, या विकृत मानस का हो जाये, या दिवालिया हो जाये, या नैतिक पतन से संबंधित, अपराधिक मामले में दोष-सिद्ध हो या कुलपति के अलावे संकाय का सदस्य विश्वविद्यालय की पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार करता हो, या पदेन सदस्य को छोड़कर अन्य कोई सदस्य कार्यकारिणी परिषद् के अध्यक्ष की अनुमति के बिना लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहा हो ।

- (iii) जब तक कि उपर्युक्त फंडिकाओं में निहित कारणों से किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त नहीं हुई हो तब तक कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों का कार्यकाल कार्यकारिणी परिषद् की सदस्यता प्राप्त करने की तिथि से तीन वर्षों का होगा। बावजूद इसके कार्यकारिणी का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा।
- (iv) कार्यकारिणी के सदस्य (पदेन सदस्यों से भिन्न) कार्यकारिणी परिषद् के अध्यक्ष को संबंधित पत्र के द्वारा त्यागपत्र दे सकते हैं एवं ऐसा त्यागपत्र उसी समय से प्रभावी हो जायेगा जब कार्यकारिणी परिषद् के अध्यक्ष उसे स्वीकार कर लें।
- (v) कार्यकारिणी परिषद् को किसी रिक्ति को नियुक्ति या मनोनयन, जैसी स्थिति हो, इस कार्य को करने के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा भरा जायेगा तथा रिक्ति के समाप्त होने पर जैसी नियुक्ति या मनोनयन का प्रभाव समाप्त हो जायेगा।

9. कार्यकारिणी परिषद् की शक्तियाँ एवं कर्तव्य :

खंड-5 में किसी प्रवधान से पूर्वग्रहहित रहते हुये कार्यकारिणी परिषद् की निर्मांकित शक्तियाँ एवं कर्तव्य होंगे, यथा :

- (1) संकायाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष (शोध एवं प्रशिक्षण), कुल सचिव, पुस्तकालयाध्यक्ष, परीक्षा निबंधक, प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक या अन्य शैक्षिक कर्मचारियों, जिनकी सेवा आवश्यक हो, को समय-समय पर नियुक्ति निर्मांकित रूप से गठित चयन समिति की अनुरांसा पर की जा सकेगी :-

- (i) कुलपति (अध्यक्ष)
- (ii) महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय
- (iii) सचिव, उच्च शिक्षा, झारखण्ड सरकार
- (iv) संबंधित विभागाध्यक्ष
- (v) विद्वत परिषद् द्वारा अनुमोदित पैनल से कुलपति द्वारा मनोनीत संबंधित डिप्लोमैट/विषय/क्षेत्र के तीन विषय-विशेषज्ञ

बावजूद इसके कुलपति को, अनुबंध के आधार पर विश्वविद्यालय एवं इसके महाविद्यालयों के पदाधिकारियों एवं शिक्षकों की स्वीकृत पद के विरुद्ध जिस अवधि तक उचित समझे नियुक्ति करने की शक्ति होगी।

- (2) कुलाधिपति की अनुरांसा के परचात प्रशासनिक, शैक्षणिक, शोध, अनुसंधान एवं अन्य आवश्यक पदों का सृजन करने तथा उनकी संख्या एवं ऐसे पदों को देय परिलब्धियों निर्धारित करने तथा ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिये न्यूनतम अर्हता विनिर्दिष्ट करने तथा उपधारा (1) के उपरोक्तों के अनुसार ऐसे पदों पर दृष्ट चयन, ऐसी सेवाशर्तों एवं बंधनों के अधीन, जैसा कि इस अनुसार विनियमित हो, अथवा नियुक्ति करने के अधिकार को ऐसे प्राधिकारी अथवा पदाधिकारी अथवा पदाधिकारियों, जैसा कि कार्यकारिणी परिषद् समय-समय पर साधारण अथवा विशेष संकल्प के निर्देश द्वारा प्रत्यायोजित करे।

- (3) विश्वविद्यालय के अधिकारियों को आकस्मिक अवकाश से पिन्न अवकाशों की स्वीकृति देना तथा उनकी अनुपस्थिति में उनके कार्यों के निबटारे के लिए आवश्यक व्यवस्था करना ।
- (4) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखा, निवेशों, परिसंपत्तियों, अन्य मामलों और अन्य सभी प्रशासनिक मामलों का प्रबंधन तथा निबंधन करना तथा इस हेतु ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करना जो वह उचित समझे ।
- (5) विश्वविद्यालय के धन, (अप्रयुक्त धन सहित) का स्टॉक, निधियों, शेयरों या प्रतिभूतियों में समय-समय पर, जैसा यह उचित समझे, निवेश करना, या भारत में अचल संपत्तियों का क्रय करना, तथा समय-समय पर ऐसे निवेशों को बदलते रहने की समान शक्ति रखना ।
- (6) विश्वविद्यालय की ओर से चल, अचल संपत्ति को हस्तान्तरण तथा प्रह्वन करना ।
- (7) विश्वविद्यालय की ओर से एकरारनामा करना, एकरारनामा में परिवर्तन करना, संचालित करना तथा रद्द करना, एवं इस हेतु ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करना, जो वह उचित समझे ।
- (8) विश्वविद्यालय के कार्यों को चलाने के लिए भवनों, परिसरों, उपस्करों तथा उपकरणों एवं अन्य साधनों की व्यवस्था करना ।
- (9) विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के लिए पुस्तकों का क्रय करना या दान स्वीकार करना ।
- (10) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा कर्मचारियों, जो किसी कारण से श्लब्ध हों की शिकायत सुनना, निर्णय देना एवं यदि उचित समझे तो निवारण करना ।
- (11) विद्वत परिषद् से परामर्शोपरांत, परीक्षकों तथा मोडरेटर्स को नियुक्ति एवं यदि आवश्यक हो तो, उन्हें हटाना तथा उनके फीस, मानदेय, यात्रा एवं अन्य भत्ते निर्धारित करना ।
- (12) विश्वविद्यालय के लिए सामान्य मुहर चुनना एवं मुहर की अधिरक्षा की व्यवस्था करना एवं ऐसे सभी कार्य करना जो इसे अधिनियम के द्वारा या अन्तर्गत प्रदान किया गया हो ।

10. कार्यकारिणी समिति की बैठक :

- (i) कार्यकारिणी समिति की बैठक कम-से-कम छः माह में एक बार होगी तथा बैठक के लिए कम से कम 15 दिनों की पूर्व सूचना दी जायेगी ।
- (ii) इसकी किसी बैठक के लिए कुल सदस्यों की आधी संख्या गणपूर्ति के लिए आवश्यक होगी।
- (iii) सदस्यों के बीच मतभेद की स्थिति में बहुमत का विचार प्रभावी होगा ।
- (iv) कार्यकारिणी परिषद के हर सदस्य का एक मत होगा और यदि कार्यकारिणी परिषद द्वारा विचार किए जाने वाले किसी प्रश्न पर बराबर मत प्राप्त हो जाये तो कुलपति या बैठक की अध्यक्षता कर रहे सदस्य, इसके अतिरिक्त, निर्णायक मत देंगे ।
- (v) कार्यकारिणी परिषद की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता कुलपति करेंगे एवं उनकी अनुपस्थिति में उस अवसर पर उपस्थित सदस्यों द्वारा चुने गए सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेंगे ।

(vi) यदि कार्यकारिणी परिषद द्वारा महत्वपूर्ण कार्रवाई करना आवश्यक हो जाये तो कुलपति कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों के बीच कागजातों के परिचालन द्वारा कार्य संपादित कर सकेंगे। प्रस्तावित कार्रवाई तबतक नहीं की जायेगी जब तक कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों के बहुमत से यह मान्य न हो तथापि कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों को कृत कार्रवाई की सूचना तुरंत दी जायेगी। कागजातों को कार्यकारिणी परिषद की अगली बैठक में सूचना के लिए रखा जायेगा।

11. स्थायी समिति का गठन एवं कार्यकारिणी परिषद द्वारा तदर्थ समिति का गठन :

इस हेतु अधिनियम एवं परिनिधम के प्रावधानों के तहत कार्यकारिणी परिषद संकल्प द्वारा स्थायी समिति का गठन या तदर्थ समिति की नियुक्ति, ऐसे उद्देश्यों के लिए एवं ऐसी शक्तियों के साथ कर सकेंगी जिसे कार्यकारिणी परिषद किसी भी शक्ति के निष्पादन या विश्वविद्यालय के किसी भी कर्तव्य के पालन या जाँच के लिए या विश्वविद्यालय के मामलों से संबंधित विषय पर परामर्श देने के लिए कर सकेंगी।

(ii) कार्यकारिणी परिषद स्थायी समिति या तदर्थ समिति के लिए जैसे व्यक्ति का चयन कर सकती है, जैसा यह उचित समझे तथा उन्हें कार्यकारिणी परिषद की बैठक में भाग लेने की अनुमति दे सकती है।

12. (क) पदों का आरक्षण

कार्यकारिणी परिषद शैक्षिक तथा शिक्षकेंतर पदों पर आरक्षण की व्यवस्था झारखण्ड सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार विनियम के द्वारा करेगी।

(ख) विभिन्न पाठ्यक्रमों के नामांकन में सीटों का आरक्षण :

अध्ययन की किसी खास विधा के पचास प्रतिशत स्थान झारखण्ड राज्य के निवासी या झारखण्ड राज्य में अवस्थित संस्थानों से अहर्ता (Qualifying) परीक्षार्थी विद्यार्थियों एवं केंद्रीय / राज्य सरकार / विश्वविद्यालयों/लोक उद्योगों/निकायों बोर्ड/अकादमियों इत्यादि के कर्मचारियों के पाल्यों (Wards) के लिए आरक्षित होंगी। इन स्थानों पर झारखण्ड राज्य की एतद् संबंधित आरक्षण नीति लागू होगी।

13. कार्यकारिणी परिषद द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन :

कार्यकारिणी परिषद संकल्प द्वारा कुलपति को या समिति को इस शर्त के साथ शक्ति प्रत्यायोजित कर सकती कि इन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर कृत कार्रवाई की सूचना कार्यकारिणी परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाय।

विद्वत् परिषद

14. विद्वत् परिषद की सदस्यता :

- (i) विद्वत् परिषद निम्नांकित व्यक्तियों से गठित होगी, यथा
- क) कुलपति, जो उसके अध्यक्ष होंगे।
 - ख) ख्याति प्राप्त शिक्षाविदों या विद्वानों या ख्याति प्राप्त लेखकों, जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हों, में से कुलाधिपति द्वारा नामित तीन व्यक्ति।
 - ग) सचिव, विधि विभाग, झारखण्ड सरकार
 - घ) भारत के वर काउंसिल के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति।
 - ङ) विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष
 - च) सभी प्राचार्य (विभागाध्यक्ष के अलावे)
 - छ) विश्वविद्यालय के सह एवं सहायक प्राध्यापकों की कोटि से यरीभता के आधार पर चक्रानुक्रम, में, दो सदस्य कुलपति द्वारा मनोनीत किया जायेगा, परन्तु कि ऐसे सह एवं सहायक प्राध्यापक जिनका मनोनयन कुलपति द्वारा कार्यकारिणी परिषद के सदस्य रूप में किया गया है, कुलपति के द्वारा विद्वत् परिषद के रूप में मनोनीत किया जायेगा, परन्तु और यह कि उपखण्ड (1) (घ) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के कर्मचारी मनोनयन के पात्र नहीं होंगे।
- (ii) ,पदेन सदस्यों के छोड़कर अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा।

15. विद्वत् परिषद की कार्य एवं शक्तियाँ :

इस अधिनियम एवं विनियम के अध्याधीन अन्य शक्तियों के अधिरोपित रहने के अलावे विद्वत् परिषद को निम्नांकित शक्तियाँ होंगी :

- क) सामान्य परिषद कार्यकारिणी परिषद द्वारा भेजे गए या सौंपे गए किसी मामले में रपट देना।
- ख) विश्वविद्यालय में पंजीकृत व्यक्तियों के अलावे व्यक्तियों के अनुदेशों तथा परीक्षाओं की व्यवस्था विनियम के माध्यम से करना।
- ग) शोध का उन्नयन करना तथा समय-समय पर ऐसे शोध पर रिपोर्ट मांगना।
- घ) संकायों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करना।
- ङ) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए समितियाँ नियुक्त करना।
- च) अन्य विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों के डिप्लोमा तथा उपाधियों की मान्यता प्रदान करना तथा विश्वविद्यालय के डिप्लोमा तथा उपाधियों से समतुल्यता निर्धारित करना।
- छ) फेलोशिप, स्कॉलरशिप तथा पारितोषिकों के लिए सामान्य परिषद द्वारा किसी शर्त को मान लेने के बाद प्रतियोगिता के लिए समय, तरीका तथा शर्तों को निर्धारित करना एवं उनको प्रदान करना।

- ज) परीक्षकों की नियुक्ति और यदि आवश्यक हो तो हटाने एवं उनके फीस मानदेय तथा यात्रा एवं अन्य भत्तों के लिए कार्यकारिणी परिषद को संस्तुति देना ।
- झ) परीक्षाओं की संचालन की व्यवस्था करना एवं उनके तिथियों को निर्धारित करना।
- ञ) विभिन्न परीक्षाओं के परीक्षाफलों की प्रोपणा या समितियों या अधिकारियों को ऐसा करने के लिए नियुक्त करना एवं उपाधियाँ, सम्मान, डिप्लोमा, उपाधि एवं सम्मान चिन्ह स्वीकृत तथा प्रदान करना । छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप, पदकों एवं पारितोषिकों एवं अन्य परिलब्धियों का यथाविहित विनियम के प्रावधानों एवं उससे जुड़े अन्य शर्तों के अधीन प्रदान करना ।
- ट) पाठ्य-पुस्तकों की स्वीकृति या निर्धारित सूची को प्रकाशित करना एवं पाठ्यक्रम या पाठ्य सूची को प्रकाशित करना ।
- ड) ऐसे प्रपत्र एवं पंजी बनाना एवं अन्य ऐसे कृत्य करना जो कि इस अधिनियम एवं विनियम के प्रावधानों के उचित ढंग से संचालन हेतु आवश्यक हो ।

16. विद्वत परिषद की बैठकें आहूत करने की प्रक्रिया :

- (i) विद्वत परिषद की बैठकें जितनी आवश्यक हो की जा सकती हैं किन्तु, एक शैक्षणिक वर्ष में दो बैठकों से कम बैठकें आयोजित नहीं की जाएगी ।
- (ii) विद्वत परिषद के कुल सदस्यों के आधे सदस्य गणपूर्ति के लिए आवश्यक होंगे ।
- (iii) विद्वत परिषद की सभी बैठकों की अध्यक्षता विद्वत परिषद के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी किन्तु उनकी अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुने गए एक सदस्य बैठक की अध्यक्षता इस अवसर पर करेंगे ।
- (iv) यदि विद्वत परिषद द्वारा कोई तात्कालिक कार्रवाई आवश्यक हो तो विद्वत परिषद के अध्यक्ष विद्वत परिषद के सदस्यों के बीच कागजातों के परिचालन द्वारा कार्यवाही संपादित कर सकते हैं । प्रस्तावित कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक विद्वत परिषद के अधिकांश सदस्यों की सहमति हो । इस प्रकार कृत कार्रवाई को विद्वत परिषद के सदस्यों को तुरंत सूचित किया जाएगा । कागजातों को विद्वत परिषद की अगली बैठक में सूचनार्थ रखा जाएगा ।

वित्त समिति

17. (i) कार्यकारिणी परिषद निम्नांकित सदस्यों से एक वित्त समिति का गठन करेगी, यथा :

- क) कुलपति
- ख) कार्यकारिणी परिषद द्वारा अपने बीच से मनोनीत एक सदस्य
- ग) झारखण्ड सरकार के वित्त विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग से एक-एक अधिकारी (किन्तु उपसचिव स्तर से अन्दून नहीं)

- ब) विश्वविद्यालय का वित्त पदाधिकारी ।
- ड) कुलपति द्वारा मनोनीत एक वरीय शिक्षक जो वित्त एवं लेखा में खासकर विशेषज्ञ हो ।
- ब) कुल सचिव जो वित्त समिति के सदस्य सचिव होंगे ।
- (ii) वित्त समिति के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा ।
- (iii) वित्त समिति के कार्य-कलाप एवं कर्तव्य निम्नलिखित होंगे, यथा
- क) विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट का जाँचना एवं समीक्षा करना एवं वित्तीय मामलों के कार्यकारिणी परिषद को अनुशंसा करना ।
- ख) नए व्यय के प्रस्तावों पर विचार करना तथा कार्यकारिणी परिषद को संस्तुति देना ।
- ग) लेखा के सावधिक विवरणियों पर विचार करना एवं समय-समय पर विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना एवं पुनर्विनिर्वाह पर विचार करना ।
- घ) विवरणियों एवं अंकेक्षण रिपोर्टों की जाँच करना एवं कार्यकारिणी परिषद को संस्तुति देना ।
- ड) स्वयं या कार्यकारिणी परिषद द्वारा कुलपति द्वारा मांगे जाने पर विश्वविद्यालय के किसी वित्तीय प्रश्न को प्रभावित करने वाले किसी प्रश्न पर अपना विचार तथा संस्तुति देना ।
- (iv) वित्त समिति की बैठक वर्ष में दो बार होगी । वित्त समिति के पाँच सदस्य गणपूर्ति के लिए आवश्यक होंगे ।
- (v) वित्त समिति की बैठकों की अध्यक्षता कुलपति करेंगे । विचारों में विभेद की स्थिति में सदस्यों के बहुमत की राय मान्य होगी ।

शिक्षकों का चयन एवं हटाया जाना

18. चयन समिति :

कुलाधिपति के लिखित पूर्वानुमोदनोपरान्त ही विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति होगी ।

परन्तु, इस हेतु विनियम द्वारा ही सारी नियुक्तियाँ संचालित होगी ।

परन्तु, यह और कि शैक्षणिक पदों पर एवं अधिकारियों की नियुक्ति परिनियम के उनखंड 9(i) में उल्लिखित प्रावधानों के तहत गठित चयन समिति की अनुशंसा पर की जायगी ।

19. कुलपति :

कुलपति की नियुक्ति एवं इनकी शक्तियाँ :-

- (i) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा खंड (ii) के अंतर्गत गठित समिति द्वारा अनुशंसित तीन से अन्दून व्यक्तियों के पैन्ल से किया जायगा ।

परन्तु यदि कुलाधिपति यथा अनुशंसित व्यक्तियों में से किसी का भी नाम स्वीकृत नहीं करते, तो वे नयी अनुशंसा को माँग कर सकेंगे ।

- (ii) खंड (i) में निर्दिष्ट समिति तीन विशिष्ट व्यक्तियों से निर्मित होगी, जिसमें एक कार्यकारिणी समिति द्वारा, एक राज्य सरकार द्वारा एवं एक कुलाधिपति द्वारा झारखण्ड उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों में से मनोनीत किये जायेंगे । कुलाधिपति द्वारा मनोनीत सदस्य समिति के संचालक होंगे, बशर्ते विश्वविद्यालय का कोई कर्मी समिति का सदस्य मनोनीत नहीं होगा,
- (iii) कुलपति जो शिक्षाविद् व्यक्ति एवं एक अतिविशिष्ट विधि विद्वान वा प्रसिद्ध जुरिस्ट होंगे विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक वैतनिक पदाधिकारी होंगे ।
- (iv) कुलपति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्षों की कालावधि या सत्तर वर्ष उम्र प्राप्त, जो भी पहले हो, तक पदधारण करेंगे और वे सत्तर वर्ष की उम्र प्राप्त तक पुनः नियुक्त के योग्य होंगे ।

परन्तु यह कि कुलाधिपति कुलपति की कालावधि की समाप्ति के पश्चात, उन्हें निर्दिष्ट अवधि को कुलमिलाकर एक वर्ष से अधिक नहीं होगी, तक के लिए पद पर बने रहने के लिए अधिकृत कर सकते हैं ।

- (v) कुलपति के वेतन परिलब्धियों एवं सेवा की अन्य शर्तें विनियम द्वारा निर्धारित होंगे ।

- (vi) यदि कुलपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र वा अन्यथा रिक्त हो जाना है या वह अस्वस्थता या अन्य कारणों से अपने कार्यनिर्वहन में असमर्थ हो जाना है, कुलाधिपति को विश्वविद्यालय के एक प्राध्यापक को यथास्थित जबतक कि नये कुलपति द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं कर लिया जाता वा वर्तमान कुलपति द्वारा पुनः कार्यभार ग्रहण नहीं कर लिया जाता, कुलपति के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए नामित करने का अधिकार होगा ।

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति- कुलाधिपति द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से ऐसी शर्तों पर जो निर्दिष्ट किये जाये, तीन वर्षों से अधिक अवधि के लिए नियुक्त किया जायेंगा ।

20. कुल सचिव :

- (1) कुल सचिव, जो प्राध्यापक के पद से अन्यून स्तर के नहीं होंगे, की नियुक्ति चयन समिति, जिसका गठन परिनियम के उपखण्ड 9 (1) के प्रावधानों के अनुसार होना है, की अनुशंसा पर कार्यकारिणी समिति द्वारा की जायेंगी, और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा । कुल सचिव की सेवाशर्तें तथा बंधन ऐसी होंगी, जो परिनियम द्वारा विहित की जाय । परन्तु, यह कि प्रथम कुल सचिव कुलाधिपति द्वारा नामित होगा जिसकी अर्हता ऐसी होगी जो उनके (कुलाधिपति) द्वारा निर्धारित किया जाये ।

- (2) कुल-सचिव कार्यकारिणी परिषद, वित्त समिति एवं संकायों के पदेन सचिव होंगे किन्तु उन्हें इस प्राधिकारों का सदस्य नहीं माना जायगा ।
- (3) कुल सचिव
- क) कार्यकारिणी परिषद, एवं कुलपति के सभी आदेशों का अनुपालन करेंगे ।
- ख) अभिलेखों, सामान्य मुद्र एव विश्वविद्यालय की अन्य परिसंपत्तियाँ जिसे कार्यकारिणी परिषद उनके प्रभार में देना चाहे, के परिरक्षक होंगे ।
- ग) सामान्य परिषद कार्यकारिणी परिषद, विद्वत परिषद, वित्त समिति एवं विश्वविद्यालय के संकाय एवं विश्वविद्यालय के प्राधिकार द्वारा नियुक्त समिति को बैठक आहूत करने हेतु सूचना जारी करेंगे ।
- घ) सामान्य परिषद, कार्यकारिणी परिषद, विद्वत परिषद, वित्त समिति एवं विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार द्वारा नियुक्त समिति को सभी बैठकों का कार्यवृत्त रखेंगे ।
- ङ) कार्यकारिणी परिषद एवं विद्वत परिषद के सभी कार्यालयीय पत्राचार करेंगे
- च) प्राधिकार की बैठक आहूत होने के सामान्यतया तथा एक माह के पूर्व कुलाधिपति को विश्वविद्यालय के प्राधिकारों की बैठकों के कार्यविन्दु की प्रतिर्यो निर्गत की जाएगी एवं बैठकों के कार्यवृत्त उनके आयोजित होने के एक माह के अंदर उपलब्ध कराया जाएगा ।
- छ) आपात काल में कार्यकारिणी परिषद की बैठक तुरंत आहूत करेंगे जब न तो कुलपति और न ही विधिवत अधिकृत पदाधिकारी कार्रवाई करने की स्थिति में हों एवं विश्वविद्यालय के कार्यों को निष्पादित करने के लिए इस बैठक में निर्देश प्राप्त करेंगे ।
- ज) कुलपति के प्रति, अपने कार्यों एवं शक्तियों के उचित निर्वहन करने के लिए सीधे उत्तरदायी होंगे ।
- झ) कार्यकारिणी परिषद या कुलपति द्वारा समय-समय पर सौंपे अन्य कार्यों का निष्पादन करेंगे ।
- ञ) कुलसचिव का पद किसी कारणवश रिक्त रहने की स्थिति में कुलपति का यह अधिकार होगा कि विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी को कुलसचिव के वैसे शक्तियों एवं फर्तव्यों को संचालित करने के लिए प्राधिकृत कर सकेंगे जैसा वह ठीक समझे ।

वित्त पदाधिकारी

21. वित्त पदाधिकारी :

विश्वविद्यालय का एक वित्त पदाधिकारी होगा जो विश्वविद्यालय के वित्त का नियंत्रण एवं अनुश्रवण करेगा परन्तु झारखण्ड सरकार प्रथम वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति एवं प्रतिनियोजन कर सकेंगी ।

भविष्य निधि, उपादान एवं पेंशन

22. भविष्य निधि, उपादान, पेंशन एवं अन्य लाभकारी योजना :

विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी, भविष्य निधि एवं अन्य लाभकारी योजना के अधिकारी होंगे, जो कार्यकारिणी परिषद द्वारा एतद् हेतु विनियम में प्रावधानित हो, बशर्तें वह विनियम, भविष्य निधि, उपादान, पेंशन एवं अन्य लाभकारी योजना वर्तमान विधानों की दृष्टि से समान हों।

23. विश्वविद्यालय की निधि :

- (i) यह विश्वविद्यालय स्व वित्त पोषित होंगी तथा उसमें निधि के निम्नलिखित स्रोत होंगे:-
- क) राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सहयोग या अनुदान राशि।
 - ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त सहयोग या अनुदान राशि।
 - ग) भारत के विधिक संघ द्वारा दिया गया कोई अंशदान।
 - घ) भारत के विधिक संघ न्यास द्वारा दिया गया कोई अंशदान।
 - ङ) राज्य विधिक परिषद द्वारा दिया गया कोई अंशदान।
 - च) किसी निजी व्यक्ति या संस्थान द्वारा अंतरदान, दान, युक्ति दान या अनुदान।
 - छ) विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क एवं चार्ज से प्राप्त आय।
 - ज) किसी स्रोत से प्राप्त धन राशि।
- (ii) भारतीय रिजर्व बैंक की धारा 1934 (केन्द्रीय धारा संख्या-2/1934) के अन्तर्गत परिभाषित किसी भी अनुसूची बैंक या बैंकिंग कंपनी या बैंकिंग कंपनियों की धारा 1970 (केन्द्रीय धारा सं० 5) तथा बैंकिंग अधिग्रहण एवं प्रतिष्ठानों का स्थानान्तरण (धारा 1980) (1980 की केन्द्रीय धारा सं० 40) तथा भारतीय न्यास धारा 1942 के तहत अधिकृत प्रतिभूतियों में (1982 की केन्द्रीय धारा सं० 2) जैसा भी कार्यकारिणी परिषद द्वारा निर्णय किया जाए, में कोष की राशि को जमा अथवा उसका निवेश किया जायेगा।
- (iii) विश्वविद्यालय के निर्धारित विनियमों द्वारा निर्धारित किसी भी कार्य हेतु कथित कोष का उपयोग किया जा सकता है।

24. वार्षिक लेखा, अंकक्षण और वित्तीय आकलन :

- कार्यकारी परिषद के निर्देश के तहत विश्वविद्यालय का लेखा प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा।
- कार्यकारी परिषद द्वारा नियुक्त अंकक्षक, विश्वविद्यालय के लेखा का वर्ष में एक बार अंकक्षण करेगा, परन्तु यह कि राज्य सरकार आवश्यकता पड़ने पर विश्वविद्यालय के लेखा तथा उसके अन्य संस्थानों का अंकक्षण करवा सकती है।

- (iii) लेखा के अंकेक्षण प्रतिवेदन कार्यकारी परिषद उसे प्रकाशित कर लेखा की एक प्रति के साथ अंकेक्षण प्रतिवेदन कार्यकारी परिषद, कुलाधिपति के तथा राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगी ।
- (iv) सामान्य परिषद द्वारा वार्षिक बैठक में वार्षिक लेखा पर विचार-विमर्श होगा तथा उसमें सामान्य परिषद प्रस्ताव पारित कर कार्यकारी परिषद को संसूचित करेगा । सामान्य परिषद द्वारा निर्गत परामर्शों पर कार्यकारी परिषद विचार-विमर्श करेगी तथा जैसा उचित समझेगी, वैसा करेगी । सामान्य परिषद की अगली बैठक में कार्यकारी परिषद उन तमाम किये गये कार्यों के साथ-साथ कार्य नहीं करने के कारणों से अवगत करेगी ।
- (v) अगले वर्ष के लिए कार्यकारी परिषद वित्तीय आकलन विनियमों द्वारा निर्धारित तिथि के पूर्व तैयार कर सामान्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत करेगी ।
- (vi) कार्यकारी परिषद द्वारा बजट के तहत किये गये प्रावधान के अतिरिक्त यदि राशि खर्च करने की आवश्यकता हो अथवा किसी आवश्यकता की घड़ी में, लिखित कारण का उल्लेख कर खर्च कर सकेगी, जो विनियम द्वारा शर्तों तथा अवरोधों के अधीन होगा (जब बजट के अंतर्गत विशेष खर्च का कोई प्रावधान नहीं किया गया हो) । सामान्य परिषद को उनकी आगामी बैठक में इस आराय का प्रतिवेदन दे दिया जायेगा ।

25. वार्षिक प्रतिवेदन :

- (i) कार्यकारी परिषद प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगी तथा विनियम द्वारा निर्धारित तिथियों के पूर्व सामान्य परिषद को प्रस्तुत करेगी । उस पर सामान्य परिषद प्रस्ताव पारित करेगी तथा उसके अनुसार कार्यकारी परिषद काम करेगी । किये गये कार्य की सूचना सामान्य परिषद को दे दी जायेगी ।
- (ii) वार्षिक प्रतिवेदन की प्रतियाँ सामान्य प्रस्ताव के साथ राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी जायेगी । राज्य सरकार उसे राज्य विधायिका के अलग सत्र में सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगी ।

प्रकीर्ण

26. अनुबंध का क्रियान्वयन :

विश्वविद्यालय के प्रशासन एवं प्रबंधन में संबंधित सभी अनुबंध कार्यकारी परिषद द्वारा संपन्न होंगे तथा इस हेतु अलग से गठित विनियमों के प्रावधानों के तहत किये जायेंगे ।

27. छात्रों के नामांकन की अहर्ता :

वैसे किसी भी छात्र का नामांकन, डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए तब तक नहीं किया जायेगा जब तक उसके पास विनियमों में विहित अपेक्षित योग्यताएँ प्राप्त नहीं हो ।

28. छात्रों का आवास :

विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र विश्वविद्यालय के छात्रावास में रहेगा या विश्वविद्यालय के विनियमों के तहत चिन्हित आवास में रह सकता है ।

29. मानद उपाधियाँ :

यदि विद्वत् परिषद के दो तिहाई सदस्यों से अनूठन सदस्य किसी व्यक्ति, जो उनका राय में ख्याति प्राप्त अथवा विशिष्ट कौटि के कारण मानद उपाधि अथवा अकादमिक विशिष्टता प्राप्त करने हेतु सुयोग्य हो, तो सामान्य परिषद संकल्प पारित कर यह निर्णय ले सकता है कि उस व्यक्ति को अनुशंसित उपाधि अथवा अकादमिक विशिष्टता प्रदान की जाय ।

30. डिग्री या डिप्लोमा को वापस किया जाना :

- (i) यदि कोई व्यक्ति, जिसे कोई विशिष्टता, उपाधि डिप्लोमा या विशेषाधिकार प्रदान किया गया हो और वह किसी गंभीर दुराचार का दोषी पाया जाता है, तो कार्यकारिणी समिति की अनुशंसा पर, सामान्य परिषद् अपनी कुल सदस्यता के बहुमत अथवा बैठक में उपस्थित कुल सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से ऐसी प्रदान की गई विशिष्टता, उपाधि डिप्लोमा या विशेषाधिकार को वापस ले सकेगा ।
- (ii) उपबंध (i) के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विरुद्ध तब तक कोई कदम नहीं उठाया जायेगा जब तक उसे कार्य के संबंध में स्पष्टीकरण देने का अवसर नहीं दिया जाता है ।
- (iii) सामान्य परिषद् द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति संबद्ध व्यक्ति के पास तुरन्त भेज दी जायेगी ।
- (iv) सामान्य परिषद् द्वारा पारित प्रस्ताव से क्षुब्ध व्यक्ति प्रस्ताव की प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर कुलाधिपति से अपील कर सकता है ।
- (v) इस अपील पर कुलाधिपति का निर्णय अंतिम माना जायेगा ।

31 अनुशासन :

- (i) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों पर अनुशासन कायम रखने के लिए अंतिम अधिकारी कुलपति होंगे । सभी विभागों, छात्रावासों और संस्थाओं के प्रमुख उनके आदेशों का अनुपालन करेंगे ।
- (ii) उपबंध - (i) के अंतर्गत प्रावधानों के बावजूद किसी छात्र को परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकने की सजा या विश्वविद्यालय, छात्रावास या वैसे किसी प्रतिष्ठान से निकालित करने, विषयक कुलपति के प्रतिवेदन पर कार्यकारिणी परिषद् द्वारा विचार-विमर्श किया जायेगा, परन्तु यह कि प्रतिवेदन पर विचार करने के पूर्व उसे स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जायेगा ।

32. प्रायोजित योजनाएं :

विश्वविद्यालय के अधिकारी अथवा शिक्षक के द्वारा प्रायोजित शोध-परियोजनाएँ, पाठ्यक्रमों अथवा विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार किए गए परामर्शदाता के कार्य (Consultancies) विद्वत परिषद् द्वारा इन योजनाओं के प्रस्ताव के जाँच (Vetting) के उपरान्त स्वीकार किया जाएगा। विश्वविद्यालय हालाँकि, सरकारी विभागों, शोध परियोजनाओं ख्याति प्राप्त संस्थानों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या कोई अन्य अकादमिक और गवेषण संस्थान, जो वह उचित समझे, के ऐसे स्ववित्त पोषित शोध परियोजनाओं, पाठ्यक्रमों एवं परामर्शदाता के कार्य (Consultancies) को स्वीकार करने तथा चलाने के लिए स्वतंत्र होगा।

परन्तु यह कि जहाँ अकादमिक या शोध परियोजना निजी संगठन के अग्रह पर स्वीकार किए जाएँ, तो वह इस हेतु अलग से निर्मित विनियम तथा शर्तों जो राज्य सरकार आदेश द्वारा निरूपित करें, से नियंत्रित होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
प्रबोध रंजन दाश,
सरकार के सचिव-सह-विधि परामर्शी,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची।

अधिसूचना

16 अप्रैल, 2008

संख्या-एल०जी०-19/2006-21/लेज०--झारखण्ड विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक 13 अप्रैल, 2010 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

NATIONAL UNIVERSITY OF STUDY AND RESEARCH IN LAW, RANCHI
Act-2010
[Jharkhand Act 04, 2010]

AN Act for Establishment and incorporation National University of Study Research in Law at Ranchi.

Preamble:-

To provide for establishment and incorporation of National University of Study and Research In Law at Ranchi for the purpose of advancement of cause of learning, teaching and research and dissemination of knowledge in the field of law, legal capacity building of appropriate state and non-State institutions, strengthening the system of delivery of legal services, specialization in reasonably relevant techno development clusters of knowledge (like mines and minerals, environment, IT, Biotechnology etc) and contribution to public policy development in the use of law in governance as also to cater to the needs of the society by the developing professional skills of persons intending to take up advocacy, judicial service, law officers/ managers and legislative